93/2021

FORM NO- 111

फर्द एहकाम

(नियम 26)

अज अदालत जिला कलेक्टर मुकाम टोंक

इन्द्रजीतसिंह बनाम अति0 जिला कलेक्टर,टोंक

किस्म मुकदमा आरटीआई अपील नम्बर 17 सन 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कया कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख एहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7-7-2021	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील अति0 जिला कलेक्टर टोंक के विरूद्व प्राप्त हुई अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट का आवेदन पत्र दिनांक 8–4–2021 लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलेक्टर टोंक को प्राप्त होने पर उनके द्वारा पत्र कमांक 350–51 दिनांक 12–4–2021 से प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग को अन्तरित किया गया था। प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग द्वारा उनके पत्र कमांक 1279 दिनांक 5–3–2021 से आयुक्त नगरपरिषद टोंक को आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया है जिसकी सूचना आवेदक को दी जा चुकी है, जिसकी छाया प्रति अपीलान्ट ने स्वंय अपील के साथ प्रस्तुत की है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिससे यह साबित हो कि अपीलान्ट को लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई हो। यदि अपीलान्ट को आयुक्त , नगर परिषद टोंक ने कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है तो वह नियमानुसार द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सूचना प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। अपीलं काल्पनिक / प्रश्नात्मक बिन्दुओं का जवाब देने हेतु प्रस्तुत की गई है जो नियमानुसार चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। अपील अपीलान्ट [illegible] होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर [illegible] जावे। जिला कलेक्टर टोंक	

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2022.02.01 11:36:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner